

28/11/22 - आज पमावली पैश डई। आज
प्रकरण से संबंध मूलावार अरम
दावरी अरम पैशवी में खरिज किया
गया है। अतः इस पमावली का कोई
औक्य नहीं है। पमावली अरम दावरी
अरम पैशवी में खरिज की जाती है।
फैरनल शुमार ही। नम्बर से कम हीकर
संलम्ब मूलावार है। सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
मन्सूर (अलवर) राज०